14.1.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर ने अपील संख्या 23/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.6.2018 की आड मे विवादित भूमि का आगे-से आगे बेचान कर देगें, जिससे विवाद बढेगा तथा अपीलान्ट को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः ग्राम नून के पुराने खसरा नं. 151/1 रकबा 12 बीघा, 152 रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा कुल रकबा 15 बीघा 1 बीस्वा का किसी भी प्रकार से बैचान/हस्तान्तरण नही करने हेतु अप्रार्थी को पाबन्द करावें।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के हक में प्रतहत होता है। अतः ग्राम नून के पुराने खसरा नं. 151/1 रकबा 12 बीघा, 152 रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा कुल रकबा 15 बीघा 1 बीस्वा का किसी भी प्रकार से बैचान/हस्तान्तरण नही करने हेतु अप्रार्थी को जरिये स्थगन पाबन्द किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।